

डॉ. सविता अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने संबंधी आवेदन पत्र जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति का हो।

सेवा में,

जिला कलेक्टर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संयुक्त फोटो
राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित

हम पुत्र
(माता-पिता/संरक्षक का पूर्ण पता)
.....
..... एवं पुत्री
(माता-पिता/संरक्षक का पूर्ण पता)
.....
अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करते हैं
जिसका विवरण निम्नानुसार है

- 1 नाम एवं वर्तमान पूर्ण पता
(अ) पति
(ब) पत्नी
- 2 विवाह पूर्व का पूर्ण पता
(अ) पति
(ब) पत्नी
- 3 विवाह पूर्व व्यवसाय और मासिक आय
(अ) पति
(ब) पत्नी
- 4 आवेदन के समय व्यवसाय एवं मासिक आय
(अ) पति
(ब) पत्नी
- 5 विवाह का पूर्ण विवरण
(अ) पंजीकृत विवाह के दस्तावेज
क्रमांक एवं दिनांक तथा पंजीकृत कार्यालय का नाम
(ब) विवाह की वैधता का सत्यापन एवं गवाह
का विवरण यदि कोई हो तो

- 6 यदि युगल/दम्पति विवाह के पश्चात किसी भी समय पृथक रूप से रह रहे हो
(अ) यदि हाँ तो पृथक से रहने का समय
(ब) पृथक रहने का कारण
- 7 हम दोनों राजस्थान के मूल निवासी है

अथवा

हम में से एक (नाम का विशिष्टी)

राजस्थान का मूल निवासी है और हमारे माता/पिता गत 5 वर्षों से राजस्थान राज्य में निवासरत है। (अन्तर्जातिय विवाह करने वाले अन्य राज्य के व्यक्ति के माता-पिता)

हम दोनों शपथ-पूर्वक घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है।

संलग्न :

1. विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
3. आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

स्थान.....
दिनांक.....

(पति).....
(पत्नी).....

हस्ताक्षर

जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रमाणित

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्यों/विवरणों की जांच उपरांत सत्य पाया गया।

जिला अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग